SCAT NEWS
स्कैट समाचार

The Latest Update on Whats Happening
Around Us In The World Of Satellite & Cable TV

सैटेलाइट और केबल टीवी की दुनिया में
हमारे चारों तरफ क्या हो रहा उसका नवीनतम अपडेट

HATHWAY SECURES FAVOURABLE TDSAT ORDER

The Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) has ruled in favour of Hathway Digital Pvt Ltd in its dispute with West Bengal-based local cable operator Jagat Gouri Cable Net over the non-return of 194 set-top boxes (STBs).

In its August 20 judgment, the tribunal directed the LCO to return the STBs and related accessories in good working condition within two months. Failing this, the operator must deposit Rs 2.64 lakh, calculated on the depreciated value of the equipment, along with simple interest at 9% per annum from the date of filing of the petition.

GOVERNMENT REVIEWS BARC READINESS

The government has held a high-level meeting to review the resumption of television audience measurement by the Broadcast Audience Research Council (BARC), with discussions focusing on compliance with the Television Rating Policy 2026.

Senior government officials examined several unresolved issues, including the treatment of landing-page viewership, which continues to divide broadcasters under the revised ratings framework.

ADVERTISERS WELCOME TV AD CAP REMOVAL

The Ministry of Information and Broadcasting's decision to remove the long-standing 12-minute-per-hour advertising cap on television is being viewed by advertisers and media agencies as a structural reform that offers greater flexibility without necessarily triggering higher advertising rates.

Industry executives believe broadcasters will gain additional opportunities to monetise inventory, while advertisers could

हेथवे को टीडीसेट से लाभदायक फैसला मिला

टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसेट) ने पश्चिम बंगाल के लोकल केबल ऑपरेटर 'जगत गौरी केबल नेट' के साथ **194** सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) वापस न करने को लेकर हुए विवाद में 'हेथवे डिजिटल प्रा.लि.' के पक्ष में फैसला सुनाया है।

ट्रिब्यूनल ने **20** अगस्त को अपने फैसले में एलसीओ को निर्देश दिया है कि वह एसटीबी और उनसे जुड़े समान को अच्छी हालात में दो महीने के भीतर वापस करे। ऐसा न करने पर, ऑपरेटर को उपकरण की घटी हुई कीमत के आधार पर **2.64** लाख रुपये जमा करने होंगे, साथ ही याचिका दायर करने की तारीख से **9%** सालाना की दर से साधारण ब्याज भी देना होगा।

सरकार ने बीएआरसी की तैयारियों का जायजा लिया

सरकार ने ब्रॉडकास्ट रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) द्वारा टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट को फिर से शुरू करने की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी **2026**के नियमों का पालन पर मुख्य रूप से चर्चा हुई।

सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई अनसुलझे मुद्दों पर विचार किया, जिसमें लैंडिंग पेज व्यूअरशिप का मामला भी शामिल है। इस मुद्दे पर बदले हुए रेटिंग सिस्टम के तहत प्रसारकों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

टीवी पर विज्ञापन समय सीमा हटाने का स्वागत किया विज्ञापनदाताओं ने

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के टेलीविजन पर प्रति घंटे **12** मिनट की विज्ञापन सीमा को हटाने के फैसले को विज्ञापनदाताओं और मीडिया एजेंसियों ने एक संरचनात्मक सुधार के तौर पर देखा है। इससे विज्ञापन की दरों में जरूरी तौर पर बढ़ोतरी किये बिना ज्यादा लचीलापन मिलेगा।

उद्योग के अधिकारियों का मानना है कि प्रसारकों को अपनी इन्वेंट्री से कमाई करने के और अधिक मौके मिलेंगे, जबकि विज्ञापनदाताओं को पहले से

SCAT NEWS

स्कैट समाचार

benefit from improved campaign planning and greater availability of commercial slots.

However, agencies cautioned that excessive advertising could increase commercial clutter, potentially reducing campaign effectiveness and audience engagement. The amendment will come into effect once it is notified in the Gazette.

DELHI HC ALLOWS GTC PUNJABI TO CONTINUE GURBANI BROADCAST

The Delhi High Court has refused to grant interim relief to the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) and PTC, allowing GTC Punjabi to continue retransmitting the live Gurbani feed from Sri Harmandir Sahib while the legal dispute is adjudicated.

The petitioners had sought to restrain GTC Punjabi from airing the feed, alleging that the broadcaster lacked the necessary authorisation. However, the court found no grounds to impose an interim restriction and observed that statutory exemptions could be relevant to the case.

TDSAT DIRECTS KERALA CABLE OPERATOR TO PAY

The Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) has directed Kerala-based local cable operator Skyline Cable Network to pay Rs 15.92 lakh to DEN Networks towards outstanding subscription dues and the depreciated value of 1,025 set-top boxes (STBs) retained after migrating to another multi-system operator.

The tribunal ruled that Skyline must pay Rs 54,679 towards subscription dues and Rs 15.38 lakh towards the value of the unreturned STBs, along with simple interest at 9% per annum from April 30, 2020, until payment.

TDSAT also held that Kerala Communicators Cable Ltd could not be held liable as it was not a party to the interconnect agreement between DEN Networks and Skyline Cable Network. ■

बेहतर कैंपेन योजना और ज्यादा कमर्शियल स्लॉट मिलने से फायदा हो सकता है।

हालांकि एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि बहुत ज्यादा विज्ञापन से कमर्शियल भीड़ बढ़ सकती है, जिससे कैंपेन की असरदारता और दर्शकों की दिलचस्पी कम हो सकती है। यह बदलाव गैजेट में अधिसूचित होने के बाद लागू होगा।

दिल्ली एचसी ने जीटीसी पंजाबी को गुरबानी का प्रसारण जारी रखने की इजाजत दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) और पीटीसी को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने जीटीसी पंजाबी को कानूनी विवाद के निपटारे तक श्री हरमंदिर साहिब से लाइव गुरबानी फीड का प्रसारण जारी रखने की इजाजत दे दी है।

याचिकाकर्ताओं ने जीटीसी पंजाबी को फीड प्रसारित करने से रोकने की मांग की थी, यह मांग करते हुए कि प्रसारक के पास जरूरी मंजूरी नहीं थी। हालांकि, कोर्ट अंतरिम रोक लगाने का कोई आधार नहीं मिला और उसने कहा कि इस मामले में कानूनी छूट प्रासंगिक हो सकती है।

टीडीसेट ने केरल के केबल ऑपरेटर को भुगतान करने का निर्देश दिया

टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (डीटीसेट) ने केरल के लोकल केबल ऑपरेटर 'स्काईलाइन केबल नेटवर्क' को निर्देश दिया है कि वह 'डेन नेटवर्क' को 15.92 लाख रुपये का भुगतान करे। यह रकम बकाया सब्सक्रिप्शन शुल्क और 1025 सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) की घटी हुई कीमत के लिए है, जिन्हें किसी दूसरे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ जाने के बाद अपने पास रख लिया गया था।

ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि स्काईलाइन को सब्सक्रिप्शन के बकाया के तौर पर 54,679 रुपये और वापस न किये गये एसटीबी की कीमत के तौर पर 15.38 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। साथ ही, 30 अप्रैल 2020 से भुगतान होने तक इस रकम पर सालाना 9% की दर से साधारण ब्याज देना होगा।

टीडीसेट ने कहा कि केरल कम्युनिकेटर्स केबल लिमिटेड को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह डेन नेटवर्क्स और स्काईलाइन केबल के इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थी। ■